न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 219/2017 **दायरा दिनांक : 26.12.2017**

उनवान

1— राधेश्याम आयु 30 वर्ष पुत्र राधाकिशन, जाति चमार, निवासी ग्राम निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

2— हंसराज आयु 34 वर्ष पुत्र राधाकिशन, जाति चमार, निवासी ग्राम निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

3— शांतिबाई आयु 32 वर्ष पुत्री राधाकिशन, जाति चमार, निवासी ग्राम निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

4— गुड्डीबाई आयु 29 वर्ष पुत्री राधाकिशन, जाति चमार, निवासी ग्राम निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

5— पिंकीबाई आयु 25 वर्ष पुत्री राधाकिशन, जाति चमार, निवासी ग्राम निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

6— महेन्द्र आयु 22 वर्ष पुत्र राधाकिशन, जाति चमार, निवासी ग्राम निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

7— अनिल आयु 20 वर्ष पुत्र राधाकिशन, जाति चमार, निवासी ग्राम निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

8— गोपालीबाई आयु 62 वर्ष पत्नी राधाकिशन, जाति चमार, निवासी ग्राम निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

9— बद्रीबाई आयु 55 वर्ष पुत्री भुवाना, जाति चमार, निवासी ग्राम निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— सचिव ग्राम पंचायत निपानियां, तहसील छबडा, जिला बारां

2— विकास अधिकारी पंचायत समिति छबडा, जिला बारां

3— राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.05.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या — 109/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि वादीगण के खाते एवं कब्जे की आराजी खाता संख्या 345 की खसरा नम्बर 161 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 178 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 180 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 368/1 रकबा 1 बिस्वा कुल 7 किता की 4 बीघा 17 बिस्वा आराजी वादीगण के पिता वादी बद्रीबाई व वादीगण की दादी/सास/माता घानी बाई के नाम संयुक्त खाते में दर्ज थी । इनमे राधाकिशन व घानी बाई का स्वर्गवास हो चुका है । नक्शाट्रेस के

अनुसार खाता संख्या 345 की खसरा नम्बर 178 रकबा 4 बिस्वा वादीगण के खाते एवं कब्जे की है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है । खसरा नम्बर 178 के पूर्व दिशा में आम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 210 और खसरा नम्बर 190 स्थित है । पश्चिम में छबडा से कुभराज रोड़ स्थित है । खसरा नम्बर 178 से लगवा पूर्वी दिशा में आम रास्ता के बाद पहाड़ी की चारागाह भूमि है । सरपंच ग्राम पंचायत निपानियां वादीगण से राजनैनिक रंजिशवश आम रास्ते की आराजी खसरा नम्बर 210 व 190 में सरकारी गोदाम का निर्माण कर रास्ते को बन्द करना चाहते हैं, जबकि खसरा नम्बर 233 आबादी की भूमि है जिस पर गोदाम का निर्माण किया जा सकता है । बिना पटवारी से पैमाईश करवाये गोदाम का निर्माण कर लिया तो वादी को रास्ते का सुखाधिकार से वंचित होना पड़ेगा । अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि खसरा नम्बर 178 की पूर्वी मेड और उससे लगवा रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 190 व 210 या उसके किसी भू भाग पर गोदाम का निर्माण नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.06.2017 को दावा वादीगण खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि केवल वादिया नबर 8 गोपाली बाई जो कि अनपढ़ महिला है की उपस्थिति दिखा कर निर्णय पारित किया गया है । पटवारी हल्का या अन्य किसी की रिपोर्ट नहीं ली है । ग्राम पंचायत की रिपोर्ट नहीं ली है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय

की जानकारी दिनांक 30.11.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री नहीं बनायी है । लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण किया गया है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित थे और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया था । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि लोक अदालत में यह कथन किया है कि पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं है । मजमेआम में निर्णय पारित किया गया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेंट के खिलाफ धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया गया है और इसमें यह अंकित किया गया है कि उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 178 की पूर्वी मेड़ के सहारे भूमि से लगवा आम रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 210 एवं 190 में प्रतिवादी गोदाम का निर्माण कर रास्ते को बन्द करना

चाहते हैं । इस प्रकार वादीगण द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 190 व 210 में गोदाम निर्माण कार्य न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया गया है ।

धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा वादी अपने खाते की आराजी के लिए पेश कर सकते हैं और वादी के स्वयं के दावे के अनुसार खसरा नम्बर 190 व 210 की आराजी उसके खाते में दर्ज नहीं है । वादी के द्वारा जो जमाबंदी की नकल जमाबंदी सम्वत 2070–73 सलंग्न की गई है उसके अनुसार ही खसरा नम्बर 210 व 190 उसके खाते में दर्ज नहीं है । इस प्रकार वादी का खसरा नम्बर 190 व 210 की आराजी के लिए धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा मेंटेनेबल नहीं है । यदि वादी ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त है तो विधि सम्मत रूप से सक्षम न्यायालय में इस बाबत चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु ऐसी आराजी जो उनके खाते में दर्ज नहीं है उसके बाबत उनका धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा मेंटेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने यद्यपि दावे को खारिज करने में जो कारण अंकित किये हैं उसमें इन तथ्यों का हवाला नहीं दिया है, फिर भी धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा मेंटेनेबल नहीं होने के कारण अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मेंटेनेबल नहीं होने के कारण खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा